[बिहार अधिनियम संख्या 31, 1982]

बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981

बिहार राज्य में मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा के विकास और उसकी बेहतर देख-रेख के निमित्त एक स्वायत्त बोर्ड के गठन का उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बत्तीसवें वर्ष में बिहार राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :—(1) यह अधिनियम बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह 11 अगस्त 1980 से प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

2. परिभाषाएँ :—जब तक कोई बात विषय या सन्दर्भ के विरुद्ध न हो, इस अधिनियम में,—

(क) "बोर्ड" से अभिप्रेत है इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड;

(ख) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है बोर्ड का अध्यक्ष;

(ग) "संस्कृत विद्यालय" से अभिप्रेत है ऐसी संस्था जो बोर्ड द्वारा संस्कृत प्राथमिक विद्यालय/संस्कृत मध्य विद्यालय/संस्कृतोच्च विद्यालय के रूप में मान्यता प्राप्त हो;

(घ) "प्रबन्ध समिति" से अभिप्रेत है मध्यमा स्तर तक के सभी टोल्स एवं अराजकीय संस्कृत विद्यालय के प्रबंध हेतु इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित समिति;

(ङ) "विहित" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा विहित;

(च) "विनियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनायी गयी विनियमावली;

(छ) "नियमावली" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली;

(ज) "सचिव" से अभिप्रेत है बोर्ड का सचिव;

(झ) "शिक्षक" से अभिप्रेत है मान्यता प्राप्त टोल एवं संस्कृत विद्यालय के शिक्षणवर्ग का सदस्य जिनमें टोल एवं संस्कृत उच्च विद्यालय के प्रधान भी सम्मिलित हैं;

(ञ) "टोल" से अभिप्रेत है मध्यमा या उससे निम्न स्तर तक संस्कृत शिक्षा प्रदान करने के लिए मान्यता प्राप्त टोल;

(ट) "मान्यता प्राप्त" से अभिप्रेत है बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त; तथा

(ठ) "संस्कृत विश्वविद्यालय" से अभिप्रेत है कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा।

3. बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड की स्थापना :—(1) उस तारीख से जो राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड नामक एक बोर्ड की स्थापना की जायगी (जिसे इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है)। इसका मुख्यालय पटना में होगा और इसकी अधिकारिता सम्पूर्ण बिहार राज्य पर होगी।

(2) बोर्ड उक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा वह उक्त नाम से वाद चला सकेगा और उस पर वाद चलाया जा सकेगा तथा उसे सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने और निपटाने, संविदा करने एवं ऐसे अन्य सभी कार्य करने की शक्ति होगी जो इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ आवश्यक हो।

4. बोर्ड का गठन :—बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा :—

(1) अध्यक्ष, जो इस अधिनियम की धारा 8 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा;

(2) शिक्षा निदेशक, जो संस्कृत शिक्षा के प्रभारी हों, अथवा उसका कोई नाम निर्देशिती जो उप-शिक्षा निदेशक से अन्यून पंक्ति का हो—पदेन;

(3) कुलपति, संस्कृत विश्वविद्यालय या उसका कोई नाम निर्देशिती—पदेन;

(4-6) बिहार विधान-मंडल के तीन सदस्य, दो विधान-सभा से तथा एक विधान परिषद् से यथाविहित रीति से निर्वाचित;

(7-9) राज्य सरकार द्वारा मनोनीत मध्यमा स्तर तक शिक्षा देनेवाली राज्य की मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं के तीन शिक्षक (राजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय, अराजकीय संस्कृत उच्च विद्यालय तथा टोल के एक-एक शिक्षक);

(10-11) कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त अंगीभूत संस्कृत महाविद्यालयों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित दो शिक्षक; और

(12-14) राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित संस्कृत शिक्षा में अभिरुचि रखने वाले तीन सदस्य ।

5. पदावधि ।—(1) अध्यक्ष एवं पदेन सदस्यों को छोड़कर बोर्ड के सदस्यों की पदावधि उनकी नियुक्ति अथवा नाम-निर्देशन की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक अवधि की होगी और इसमें ऐसी अवधि भी शामिल होगी जो पदावधि के अवसान की तारीख और उक्त पदावधि के अवसान के कारण हुई रिक्ति की पूर्ति के लिए नियुक्ति अथवा नाम-निर्देशन की तारीख के बीच बीते ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन पदावधि के अवसान पर बोर्ड का कोई सदस्य तीन वर्षों से अनधिक पदावधि के लिए पुनः नाम निर्देशित किया जा सकेगा, किन्तु दो पदावधियों से अधिक के लिए नाम निर्देशन का पात्र नहीं होगा ।

6. बोर्ड की शक्तियाँ और कृत्य ।—(1) मध्यमा स्तर तक की संस्कृत शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार को परामर्श देना बोर्ड का कर्त्तव्य होगा ।

(2) इस अधिनियम तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली और नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड को मध्यमा स्तर तक संस्कृत शिक्षा के निदेशन, पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण की शक्ति होगी और विशेषतया उसे निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(क) इस निमित्त बनायी गयी नियमावली के अनुसार सरकार द्वारा निर्दिष्ट संख्या के भीतर एवं राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से मध्यमा स्तर तक के संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स को मान्यता प्रदान करना;

(ख) इस निमित्त बनायी गयी नियमावली के अनुसार मान्यता प्राप्त संस्कृत संस्थाओं की मान्यता वापस लेना;

(ग) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स की पंजी रखना;

(घ) संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में अध्ययन के लिए तथा बोर्ड द्वारा चलाई गई मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं के लिए पाठ्य-विवरण, पाठ्यक्रम और पाठ्य-पुस्तकों को विनियम द्वारा उपलब्ध करना;

(ङ) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में व्यवहार के लिए आवश्यकतानुसार पाठ्य-पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों के निर्माण, प्रकाशन एवं विक्रय का भार लेना;

(च) संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स में उपयोग के लिए बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षाओं के लिए अनुमोदित पुस्तकों की सूची रखना एवं समय-समय पर प्रकाशित करना तथा ऐसी सूची से किसी पुस्तक का नाम हटाना;

(छ) मध्यमा स्तर तक की विभिन्न संस्कृत परीक्षाएँ तथा वैसी अन्य परीक्षाएँ चलाना और संचालित करना जो वह उचित समझे तथा इस निमित्त विनियम बनाना;

(ज) बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षाओं का परीक्षाफल प्रकाशित करना तथा उसके आधार पर प्रमाण-पत्र, पारितोषिक तथा छात्रवृत्ति प्रदान करना;

(झ) बोर्ड द्वारा चलाई गई मध्यमा स्तर तक की परीक्षाओं के लिए नियुक्त प्राश्निकों, अनुसीमकों (मोडेरेटरों), सारणीकारों (टेबुलेटरों) परीक्षकों, वीक्षकों, केन्द्राधीक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा परीक्षा के संबंध में नियोजित अन्य व्यक्तियों को देय पारिश्रमिक की दर तथा परीक्षार्थियों द्वारा ऐसी परीक्षाओं के लिए देय फीस की दर विनियम द्वारा निर्धारित करना ;

(ञ) इस निमित्त बने विनियम के अनुसार मध्यमा स्तर तक के परीक्षार्थियों को बोर्ड द्वारा चलाई गई परीक्षा में बैठने की अनुमति देना या अनुमति देने से इन्कार करना या वापस लेना ;

(ट) संस्कृत शिक्षा निधि का प्रबंध करना;

(ठ) यथाविहित भविष्य-निधि की संस्थापना और प्रबंध करना;

(ड) बोर्ड के कर्मचारियों की सेवा-शर्तों के संबंध में विनियमावली बनाना;

(ढ) इस अधिनियम के अधीन बनायी गयी नियमावली के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए संस्कृत विद्यालयों एवं टोलों की प्रबंध समितियों का गठन करना एवं उन्हें भंग करना; तथा

(ण) ऐसे अन्य कार्य करना जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड को सौंपे जाएँ ।

7. बोर्ड के पदाधिकारी :—बोर्ड के निम्नलिखित पदाधिकारी होंगे :—

(1) अध्यक्ष,

(2) सचिव, तथा

(3) ऐसे अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार द्वारा बोर्ड के पदाधिकारी घोषित हों ।

8. अध्यक्ष :—(1) इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्यधीन अध्यक्ष राज्य सरकार द्वारा पद-ग्रहण की तारीख से तीन वर्षों से अनधिक कालावधि के लिए राज्य सरकार के प्रसाद पर्यन्त नियुक्त किया जायगा। इस अवधि के अवसान पर वह तीन वर्षों से अनधिक कालावधि के लिए पुनः नियुक्ति का पात्र हो सकेगा। अध्यक्ष का पद धारण करने के लिए कोई व्यक्ति तब तक पात्र न होगा जब तक कि वह केन्द्रीय या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम दस वर्षों का प्रशासनिक अनुभव न रखता हो अथवा जिसे किसी विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में न्यूनतम दस वर्षों का शिक्षण अनुभव प्राप्त न हो अथवा जो राज्य सरकार की राय में अपनी विद्वता तथा विद्यानुराग के लिए विख्यात न हो।

(2) अध्यक्ष की नियुक्ति के अन्य बंधेज और शर्तें वैसी होंगी जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

9. अध्यक्ष का हटाया जाना :—(1) यदि किसी समय और ऐसी जांच के पश्चात् जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को प्रतीत हो कि अध्यक्ष—

(क) इस अधिनियम के द्वारा या अधीन उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य के पालन में असफल रहा है; या

(ख) उसने ऐसी रीति से कार्य किया है जो बोर्ड के हित के प्रतिकूल है; या

(ग) बोर्ड के कार्यकलापों का प्रबंध करने में असमर्थ रहा है; तो राज्य सरकार, इस बात के होते हुए भी कि अध्यक्ष की पदावधि समाप्त नहीं हुई है, अध्यक्ष को एक माह की लिखित नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन देकर अधिसूचना में विनिर्दिष्ट तारीख से अपने पद से हटा सकेगी।

(3) उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट तारीख की ओर से, यह समझा जायगा कि अध्यक्ष ने पदत्याग कर दिया है और अध्यक्ष का पद रिक्त हो गया है।

10. अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या अध्यक्ष पद की तात्कालिक रिक्ति के दौरान कार्य-व्यवस्था :—छुट्टी, बीमारी या किसी अन्य कारण से अध्यक्ष की अस्थायी अनुपस्थिति या अध्यक्ष पद की तात्कालिक रिक्ति के दौरान शिक्षा निदेशक (प्रभारी संस्कृत शिक्षा) के लिए अध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग और उनके कर्त्तव्यों का पालन करना विधिपूर्ण होगा।

11. अध्यक्ष की शक्तियाँ और कृत्य :—(1) अध्यक्ष बोर्ड का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक पदाधिकारी होगा और वह बोर्ड की बैठकों की अध्यक्षता करेगा :

परन्तु अध्यक्ष प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन मतों की संख्या बराबर होने पर उसे निर्णायक मताधिकार होगा, जिसका वह प्रयोग कर सकेगा।

(2) बोर्ड के अनुसचिवीय कर्मचारियों और अन्य सेवकों (शिक्षकों और पदाधिकारियों को छोड़कर) के लिए सृजित पदों पर अध्यक्ष, विनियमावली और विनियमों के उपबंधों के अनुसार, नियुक्ति कर सकेगा। ऐसे कर्मचारियों और सेवकों पर उसे नियंत्रण और पूर्ण अनुशासनिक शक्तियाँ होंगी।

(3) अध्यक्ष संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं का निरीक्षण कर सकेगा अथवा ऐसे व्यक्तियों से निरीक्षण करा सकेगा जिन्हें वह इसके लिए प्राधिकृत करे।

(4) जब बोर्ड की बैठक न हो रही हो और यदि अध्यक्ष का यह समाधान हो जाय कि ऐसी विशेष स्थिति आ चुकी है जिसमें उसे ऐसी कार्रवाई करना अपेक्षित है, जिसमें इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन बोर्ड में निहित किसी शक्ति का प्रयोग अन्तर्ग्रस्त हो, तो अध्यक्ष ऐसी कार्रवाई कर सकेगा जो वह उचित समझे, और अपने द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट बोर्ड की अगली बैठक में पेश करेगा।

(5) इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अध्यक्ष का यह कर्त्तव्य होगा कि वह देखे कि बोर्ड की कार्यवाही इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली के उपबंधों के अनुसार चलायी जाती है और अध्यक्ष ऐसी प्रत्येक कार्यवाही जो ऐसे उपबंधों के अनुरूप न हो, की रिपोर्ट राज्य सरकार को कर देगा। जबतक इस पर राज्य सरकार का आदेश प्राप्त न हो जाय तबतक ऐसी कार्यवाही तथा उसमें लिए गये निर्णयों को रोक देने की शक्ति अध्यक्ष को होगी।

(6) अध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा जो इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाई गई नियमावली और विनियमावली द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित हो।

12. सचिव :—(1) बोर्ड का एक सचिव होगा जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायगा।

(2) सचिव की नियुक्ति की शर्त्तें और बंधेज वे ही होंगे जो राज्य सरकार समय-समय पर अवधारित करे।

(3) अध्यक्ष के सामान्य नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन सचिव बोर्ड का मुख्य प्रशासी पदाधिकारी होगा।

(4) वह ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा जो उसमें विहित हों या बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित की जायँ।

(5) सचिव बोर्ड की बैठकों में भाग लेने का हकदार होगा किन्तु मत देने का हकदार नहीं होगा ।

(6) सचिव बोर्ड की बैठकों की कार्यवाहियाँ रखेगा ।

13. बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि—बोर्ड की बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि के नाम से एक निधि होगी जिसमें निम्नलिखित राशियाँ सम्मिलित की जायेंगी—

(क) इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ राज्य सरकार तथा भारत सरकार द्वारा दी गई सभी राशियाँ;

(ख) इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों के अधीन ली गयी सभी फीसें ;

(ग) बोर्ड द्वारा स्वाधिकृत या प्रबन्धित विन्यासों (एन्डाउमेन्ट्स) या सम्पत्तियों से प्राप्त आय ;

(घ) अन्य स्रोतों से बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी राशियाँ ।

14. बिहार संस्कृत शिक्षा निधि का उपयोग :—बिहार संस्कृत शिक्षा निधि का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए जा सकेगा—

(क) राज्य में मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को यथाविहित रीति से वेतन एवं भत्ते का भुगतान ;

(ख) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं की स्थापना से सम्बद्ध ऐसी मदों का खर्च जो राज्य सरकार या बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड अनुमोदित करे ;

(ग) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं से सम्बन्धित ऐसे कोई सन्निर्माण, अनुरक्षण और मरम्मत जो राज्य सरकार द्वारा मन्जूर हो ;

(घ) किसी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्था के लिए ऐसी भूमि के अर्जन हेतु जिसके लिए राज्य सरकार या बोर्ड की सम्यक् मंजूरी मिल चुकी हो ;

(ङ) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं बोर्ड से सम्बद्ध अन्य संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के उपादान, पेंशन और भविष्य निधि मद के अंशदान का भुगतान ;

(च) संस्कृत शिक्षा से संबंधित ऐसे अन्य खर्चों का भुगतान जो समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायं :

परन्तु इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ होने वाले व्यय को छोड़कर कोई भी अन्य व्यय निधि से तब तक नहीं किया जायगा जब तक कि वह व्यय इस अधिनियम के अधीन अनुमोदित बजट में उपबन्धित नहीं हो अथवा उसकी पूर्त्ति विहित रीति से मन्जूर पुनर्विनियोग द्वारा न की जा सकती हो।

15. लेखा—बोर्ड अपनी सभी आय और व्यय का लेखा विहित रीति से रखेगा।

16. सम्परीक्षा :—बोर्ड के लेखा का परीक्षण-सम्परीक्षा राज्य सरकार द्वारा यथाविहित रीति से की जायेगी।

17. सम्परीक्षा प्रतिवेदन :—(1) सम्परीक्षक सम्परीक्षा पूरी करने के बाद, सम्परीक्षित लेखा के संबंध में प्रतिवेदन राज्य सरकार को देगा और उसकी एक प्रति बोर्ड को भेजेगा और बोर्ड इसे, अपने मंतव्य के साथ, राज्य सरकार को भेज देगा।

(2) राज्य सरकार सम्परीक्षा प्रतिवेदन पर ऐसा निर्देश देगी जो वह उचित समझे और बोर्ड का यह कर्त्तव्य होगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट समय के भीतर उसका अनुपालन करे।

18. बोर्ड द्वारा सूचना दिया जाना :—बोर्ड राज्य सरकार को यथाविहित ऐसे अन्य प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण देगा तथा ऐसी और भी जानकारी देगा जो राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित हो।

19. बोर्ड की कार्यवाही का अविधिमान्य न होना।—इस अधिनियम के अधीन बोर्ड का कोई कार्य या कार्यवाही मात्र बोर्ड में किसी सदस्य का पद रिक्त होने के कारण ही अविधिमान्य न होगी।

20. शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवाएँ :—मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों एवं टोलों के शिक्षकों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवाएँ राज्य सरकार द्वारा शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से बोर्ड के अधीन की जा सकेंगी और उक्त तिथि से वे शिक्षक और कर्मचारी बोर्ड की सेवा में माने जायेंगे। इनकी सेवा शर्त्तों का नियंत्रण यथाविहित नियमों के अधीन बोर्ड द्वारा किया जायगा।

21. शिक्षकों की नियुक्ति की व्यवस्था :—राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा संस्कृत विद्यालयों एवं बोर्ड से संबद्ध अन्य संस्थाओं में शिक्षक पदों पर नियुक्ति एवं प्रोन्नति की व्यवस्था करेगी तथा इसके लिए नियम और प्रक्रिया निर्धारित करेगी।

22. नियमावली बनाने की राज्य सरकार की शक्तियाँ :—(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राज्य सरकार शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी; और

(2) विशिष्टतः और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर विपरीत प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली में निम्नलिखित किन्हीं या सभी विषयों का उपबंध किया जा सकेगा :—

(क) बोर्ड द्वारा सम्पत्ति का अर्जन, कब्जा और निपटाव तथा ऐसे अर्जन, कब्जा तथा निबटाव की शर्तें ;

(ख) धारा 4 में विनिर्दिष्ट बोर्ड के सदस्यों के नाम निर्देशन की रीति ;

(ग) संस्कृत विद्यालय एवं टोल की प्रबंध समिति के गठन तथा उनकी शक्तियाँ और कृत्य ;

(घ) बोर्ड के पदाधिकारियों एवं सेवकों की नियुक्ति के बंधेज और शर्त्तें; वेतनमान, अनुशासन के नियम तथा अन्य सेवा-शर्तें ;

(ङ) बोर्ड का बजट तैयार करने का प्रपत्र (फारम) ;

(च) बिहार राज्य संस्कृत शिक्षा निधि में रकम जमा करने तथा निकालने की प्रक्रिया ;

(छ) धारा 14 के अधीन पुनर्विनियोग की प्रक्रिया;

(ज) आय और व्यय के लेखा रखने की प्रक्रिया और उसका प्रपत्र (फारम) ;

(झ) बोर्ड के लेखा की परीक्षा-सम्परीक्षण की प्रक्रिया ;

(ञ) बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला प्रतिवेदन, विवरणी और विवरण एवं वैसे प्रतिवेदन, विवरण और विवरणी का प्रपत्र ;

(ट) मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल्स के शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति एवं अन्य सेवा-शर्तों का निर्धारण ;

(ठ) संस्कृत विद्यालयों की स्वीकृति की शर्तें एवं प्रक्रिया ; तथा

(ड) ऐसा कोई अन्य विषय, जो इस अधिनियम के अधीन विहित किया जाना अपेक्षित हो ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया हरेक नियम, बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र राज्य विधान-मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष कुल 14 दिनों के चालू सत्र की अवधि में जो एक ही सत्र या लगातार सत्रों में पड़ सकती है, रखा जायगा और यदि जिस सत्र में यह नियम इस तरह रखा जाय, उसकी या उसके ठीक बाद वाले सत्र की समाप्ति के पहले दोनों सदन इस नियम में कोई रूपभेद करने के लिए सहमत हों अथवा दोनों सदनों का यह मत हो कि वह नियम नहीं रखा जाय, तो उसके बाद वह नियम, यथास्थिति, इस प्रकार, रूपभेदित रूप में प्रभावी या प्रभावहीन हो जायगा, किन्तु ऐसे किसी रूपभेद या प्रभावहीनता (रद्दगी) से उस नियम के अधीन पहले किए गए किसी काम की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

23. निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्तियाँ :—(1) राज्य सरकार को बोर्ड के प्रति ऐसा कोई भी निदेश देने की शक्ति होगी जो सरकार आवश्यक समझेगी ।

(2) राज्य सरकार को यह भी अधिकार होगा कि बोर्ड जो कुछ कार्य करे या कर चुका हो अथवा करे या कर रहा हो अथवा करना या कराना चाहता हो, उसके संबंध में बोर्ड को सम्बोधित करे, और उस विषय में अपना विचार बोर्ड को संसूचित करे ।

(3) बोर्ड राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा कि राज्य सरकार से ऐसी संसूचना या निदेश प्राप्त होने पर वह क्या कार्रवाई करना चाहता है या कर चुका है और यदि वह आवश्यक कार्रवाई करने में असफल रहा हो तो बोर्ड इस संबंध में राज्य सरकार को स्पष्टीकरण देगा।

(4) यदि कोई युक्तिसंगत समय के भीतर राज्य सरकार के समाधानप्रद रूप में कार्रवाई करने में बोर्ड असफल रहे तो राज्य सरकार बोर्ड द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण या किये गये अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद इस अधिनियम से संगत ऐसा निदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे और बोर्ड ऐसे निदेश का अनुपालन करेगा।

(5) यदि कोई ऐसी आपत्तिक स्थिति हो जिसके चलते राज्य सरकार की राय में तुरत कार्रवाई करना आवश्यक हो तो राज्य सरकार बोर्ड के पूर्व परामर्श के बिना ही, इस अधिनियम से संगत ऐसी कार्रवाई कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे और की गई कार्रवाई बोर्ड को तुरत सूचित कर देगी।

(6) राज्य सरकार बोर्ड के किसी संकल्प या आदेश के निष्पादन का कारण विनिर्दिष्ट करते हुए, लिखित आदेश द्वारा निलंबित कर सकेगी तथा बोर्ड ने जो कार्रवाई करने का आदेश दिया हो या जिसका किया जाना तात्पर्यित हो, उसे प्रतिषिद्ध कर सकेगी, यदि उसकी राय हो कि वैसा संकल्प, आदेश या कार्रवाई इस अधिनियम या इसके अधीन बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों से परे है।

(7) यदि राज्य सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनसे राज्य सरकार के लिए बोर्ड द्वारा संस्कृत विद्यालयों एवं अन्य संस्थाओं को दी गई प्रस्वीकृति, उनमें की गई नियुक्तियाँ अथवा बोर्ड द्वारा किया गया कोई अन्य कार्य का पुनर्विलोकन करना आवश्यक है तो राज्य सरकार उनका पुनर्विलोकन कर बोर्ड को ऐसा आदेश दे सकेगी जो वह उचित समझे और राज्य सरकार का आदेश बोर्ड पर आबद्धकर होगा।

24. बोर्ड के आदेशों के विरुद्ध अपील :—बोर्ड अथवा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दिये गये आदेश से असंतुष्ट कोई व्यक्ति या प्रबंध-समिति आदेश निर्गत होने की तिथि से 60 (साठ) दिनों के अन्दर राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पदाधिकारी के समक्ष अन्तिम सुनवाई के लिए अपील कर सकता है, जिसका निष्पादन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायगा और वह निर्णय अन्तिम होगा जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई अपील या वाद अनुमान्य नहीं होगा।

25. विद्यमान बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड का विघटन :—(1) इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन बोर्ड की स्थापना की तारीख से राजकीय संकल्प संख्या 322, दिनांक 24 जनवरी 1981 द्वारा गठित बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड विघटित हो जायेगा और उक्त बोर्ड द्वारा स्वाधिकृत या कब्जाकृत आस्तियाँ और सम्पत्तियाँ इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड में निहित हो जायेंगी।

(2) इस अधिनियम के प्रारम्भ के पूर्व भूतपूर्व बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड या, उसके सेवकों के द्वारा अथवा उसके विरुद्ध संस्थित या प्रवर्त्तनीय सभी विधिक कार्यवाहियां या उपचार बोर्ड या उसके विरुद्ध, यथास्थिति, जारी रखे या प्रवर्तित किये जायेंगे।

(3) इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड में नियोजित सभी पदाधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों को इस अधिनियम के अधीन स्थापित बोर्ड में स्थानान्तरित समझा जायेगा और ये उसमें अपना पद या सेवा तबतक उन्हीं बंधेजों एवं पारिश्रमिक पर पूर्व या यथापूर्व रूप से धारित करेंगे जब तक कि उनके पारिश्रमिक या सेवा के अन्य बंधेज और शर्त्तें, इस निमित्त बने किन्हीं नियमों या विनियमों के अधीन बोर्ड द्वारा पुनरीक्षित या परिवर्तित न कर दी जायं।

(4) इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड की मान्यता वापस लेने की शक्ति के अधीन रहते हुए जबतक कि मान्यता की अवधि समाप्त न हो जाय सभी मान्यता प्राप्त संस्कृत विद्यालय एवं टोल इस अधिनियम के अधीन तब तक मान्यता प्राप्त समझे जायेंगे।

(5) सभी पाठ्य विवरण (सिलेबस), पाठ्यक्रम तथा पाठ्य-पुस्तकें, जो लागू हैं, जब तक अन्यथा उपबंध नहीं कर दिया जाय, इस अधिनियम के अन्तर्गत लागू मानी जायेंगी।

26. अस्थायी उपबंध :—जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार बोर्ड का सम्यक रूप में गठन नहीं हो जाता तबतक बोर्ड अध्यक्ष और पदेन सदस्यों से ही गठित होगा।

27. राज्य सरकार की कठिनाई दूर करने की शक्ति :—यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उठ जाय, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से संगत ऐसा कार्य करने का आदेश बोर्ड को दे सकेगी जो उसे उक्त कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो।

28. निरसन और व्यावृत्ति।—(1) बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड तृतीय अध्यादेश, 1931 (बिहार अध्यादेश सं० 173, 1981) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा या के अधीन प्रदत्त किसी शक्ति के प्रयोग में लिया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जायेगी मानो यह अधिनियम उस दिन प्रवृत्त था जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

वि० ना० मेहरोत्रा,
सरकार के उप-सचिव।